अध्याय–8

महात्मा गांधी नरेगा के अन्य चालु योजनाओं के साथ गैप भरने और मूल्यवर्धन के लिए अभिसरण (convergence)

8.1 अभिसरण क्यों?

8.2 महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण क्यो?

8.3 अभिसरण पर अब तक जारी दिशा–निर्देश परिशिष्ट–"**XXI**" पर उपलब्ध है।

8.4 अभिसरण में गैर परक्राम्य (Non Negotiable)

8.5 अभिसरण के क्रियान्वयन के चरण ।

8.6 अभिसरण की कार्य योजना के लिए प्ररूपी अभ्यास।

8.7 महात्मा गांधी नरेगा के तहत अन्य विभागीय योजनाओ के साथ अभिसरण किए गए कार्यों की सूची।

8.1 अभिसरण क्यों?

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना और अन्य लाईन विभागों की योजनाओं के मध्य वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित तालमेल बनाने के लिए अभिसरण आवश्यक **हैं।**

अनुसूची–1 के पैरा–6 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना का अन्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अन्तिम कार्यान्वयन स्तर तक प्रभावी अन्तर–विभागीय अभिसरण किया जाना हैं, ताकि परिसम्पत्ति की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार और एक स्थाई तरीके से गरीबी के कई आयामों को सम्बोधित करने में समग्र रूप से तालमेल किया जा सकें।

(i)अन्तर को भरने के लिए:–

महात्मा गांधी नरेगा योजना की राशि एवं अन्य योजनाओं की राशि के उपयोग से टिकाऊ और उत्पादक सम्पत्ति के निर्माण में अन्तर को भरना।

उदाहरण के लिए:–

- मैदानी क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के तहत घर के लिए अनुदान रू.70000/–
- अकुशल मानव दिवसों की आवश्यकता अर्थात् मैदानी क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस महात्मा गांधी नरेगा निधि से लिया जाकर इन्दिरा आवास की निर्माण लागत की पूर्ति करना।

(ii) अन्तर को भरने के साथ–साथ मूल्य संवर्धन के लिए (अग्रगामी सम्बन्ध):–

उदाहरण के लिए:–

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (C.D.P.) के साथ अभिसरण कर महात्मा गांधी नरेगा के तहत रेशम के कीड़ों के मेजबान पौधों का वृक्षारोपण करना अर्थात् गैप फिलिंग।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के सी.डी.पी. योजना के तहत रेशम के लिए कच्चे रेशम (कोकून) प्रसंस्करण का कार्य (processing) करना अर्थात् मूल्य संवर्धन (Value addition) ।

<u>8.2</u> महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिसरण क्यो?

(i) ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक अधिकांश कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत अनुमत हैं।

(ii) इसमें निरन्तर कार्य की गुंजाइश है (यह Open ended है) अर्थात् भौतिक एवं वित्तीय सीमा के नार्म्स नहीं।

(iii) महात्मा गांधी नरेगा योजना जिसके साथ अभिसरण किया जाना है, उसके भौतिक, तकनीकी एवं वित्तीय नियमों का पालन करता हैं।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम में बजट की कोई सीमा नहीं है, यह काम के लिए मांग के अनुसार होता है।

(v) महात्मा गांधी नरेगा योजना देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लागू है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक परिवार अकुशल श्रम करने के लिए जॉब कार्ड ले सकते हैं और महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम कर सकते हैं।

<u>8.3</u> अभिसरण पर अब तक जारी दिशा–निर्देश परिशिष्ट–“XXI” पर उपलब्ध है।

8.4 अभिसरण में गैर परक्राम्य (Non Negotiable)

(i) कार्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किये जा सकते हैं।

(ii) अकुशल कार्य के लिए केवल जॉब कार्ड धारकों को ही लगाया जा सकेगा।

(iii) महिला और पुरूषों को समान मजदूरी दर।

(iv) क्रियान्वयन संस्था द्वारा कार्यस्थल पर मस्टररोल संधारित किया जावेगा।

(v) मजदूरी का भुगतान केवल बैंक/डाक घर खातों में ही किया जाये सिवाय जब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छूट दी गई हो।

(vi) ठेकेदार और श्रम विस्थापन मशीन की पूर्णतया मनाही है।

(vii) सभी कार्य ग्राम सभा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(viii) ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन एजेन्सी होने पर वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण परियोजनाओं की सामग्री मद की राशि जिसमें मेट की मजदूरी, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक भुगतान शामिल है, ग्राम पंचायत स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तथा क्रियान्वयन एजेंसी लाईन विभाग होने पर यह जिला स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(ix) व्यक्तिगत लाभार्थी परिवार महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवार से होगा।

(x) अभिसरण के तहत सृजित रोजगार का रिकॉर्ड अलग से रखा जावेगा।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बी.पी.एल. की भूमि विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर ली जायेगी। जब एक बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बी.पी.एल. की भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो जायेंगे तो लघु व सीमांत किसानों की भूमि पर विकास कार्य किये जा सकेंगे।

(xii) प्रत्येक कार्य/परियोजना/क्लस्टर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए महात्मा गांधी नरेगा की परियोजना माना जायेगाः—

अ) यूनिक कार्य आई.डी. देकर

ब) निर्माण और परिसम्पत्ति रजिस्टर में इन्द्राज कर।

स) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कर।

द) सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा मूल्यांकन

(xiii) प्रत्येक ग्राम पंचायत महात्मा गांधी नरेगा से सम्बन्धित सभी अभिलेख/दस्तावेजों का संधारण करेगी।

(xiv) महात्मा गांधी नरेगा योजना की धनराशि का उपयोग विभागीय योजना राशि के विकल्प के रूप में नहीं किया जायेगा।

8.5 अभिसरण के क्रियान्वयन के चरण

परिचालन सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों के महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अभिसरण के लिए अभिसारी कार्यक्रमों और महात्मा गांधी नरेगा के बीच निम्नलिखित क्रियान्वयन के कदमों पर समन्वय की आवश्यकता होगीः—

(i)योजना (प्लानिंग करना)

(ii) कार्य निष्पादन

(iii) प्रबन्धन (संस्थागत व्यवस्था)

योजना

सम्बन्धित लाईन विभाग तकनीकी व्यवहारिकता का आकलन करने के बाद उपयुक्त भूमि/पात्र लाभार्थियों की पहचान कर परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा।

8.5.1.1 परियोजना रिपोर्ट ग्राम सभा में अनुमोदन एवं वार्षिक कार्य योजना तथा शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

8.5.1.2 कार्य ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ वर्कस का हिस्सा होंगे।

8.5.1.3 डिजाईन और विनिर्देश (Specification) अभिसारित की जाने वाली योजना के मानदण्डों के अनुसार होंगे।

8.5.1.4 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC) के द्वारा.

8.5.1.5 महात्मा गांधी नरेगा योजना के भाग के लिए तकनीकी स्वीकृति

योजनान्तर्गत अधिकृत तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी और लाईन विभाग की योजना के अभिसरण किये जाने वाले भाग की तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित लाईन विभाग के सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।

8.5.1.6 अभिसरण परियोजना समयबद्ध संपादन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यापक (comprehensive) होनी चाहिए।

8.5.1.7 जब ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा हो

तो ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम और सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करना होगा और लाईन विभाग क्रियान्वयन एजेंसी होने पर श्रम सामग्री अनुपात 60:40 जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।

8.5.1.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिये जाने वाले कार्यों की सूची सम्बन्धित विभागों के साथ साझा करनी चाहिए ताकि वे योजना बनाते समय प्रत्येक कार्य के मूल्य संवर्धन के लिए उपयुक्त गतिविधियो /प्रोद्योगिकियों को इंगित कर सके।

8.5.1.9 अगर धन निधि स्त्रोत महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा एक से अधिक है तो दोनों विभाग धन के स्रोत के साथ गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए एक संयुक्त विवरण (composite statement)तैयार करेंगे, जो प्रत्येक परियोजना के साथ संलग्न किया जायेगा ताकि कोई भी गतिविधि न छूट जाये एवं दुबारा से दर्ज नहीं हो जाये। नमूने के तौर पर एक अभ्यास संलग्न है।

8.5.1.10 अभिसारी कार्यक्रम का मूल विभाग, ग्राम पंचायत को योजना निर्माण, डी.पी.आर. तैयार करना और निष्पादन में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा ताकि अभिसरण पूरक (complementary) तरीके से लागू हो सके और गतिविधियों का अच्छी प्रकार जुड़ाव कर तालमेल (devotail) हो सकें।

8.5.1.11 महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ अभिसरण के लिए चिह्नित परियोजनाओं पर परियाकजना क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

8.5.1.12 महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निष्पादन के लिए चिह्नित गतिविधियां/संरचनाएँ/टास्क को वार्षिक कार्य योजना में शामिल करना चाहिए और श्रम बजट का हिस्सा होगा।

8.5.1.13 आयोजना गांव आधार पर समग्र, निदान और परिणाम उन्मुख होगी।

8.5.1.14 प्लानिंग प्रक्रिया में कार्यों की पहचान गहन भागीदारी आयोजना अभ्यास (IPPE) प्रक्रिया के द्वारा की जायेगी और ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा जायेगा। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभा की सिफारिशों पर विचार करेगी।

8.5.1.15 प्राक्कलन क्रियान्वयन एजेन्सी के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा उचित परीक्षा एवं तकनीकी व्यवहारिकता के बाद तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जायेगी।

8.5.1.16 जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।

8.5.1.17 कार्य का निष्पादन जब और जैसे ही मांग आयेगी उसके अनुसार किया जायेगा।

8.5.1.18 अभिसरण के लिए प्रस्तावित काम की स्थिति निम्न में से एक होगीः – पूर्ण या प्रगतिरत। अभिसरण की योजना कार्यों की स्थिति के अनुसार बनाई जानी चाहिए।

8.5.1.19 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अभिसरण परियोजना के पूर्ण प्रमुख होंगे। वे इन परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।

8.5.1.20 अभिसरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक हैं कि अभिसरण के तहत अन्य योजनाओं के साथ महात्मा गांधी नरेगा से लिए जाने वाले कार्यों को आवश्यक प्राथमिकता दी जावें।

8.5.1.21 कार्यों के लिए योजना और अभिसरण के प्रबन्धन में उचित समन्वय के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संस्थागत ढ़ांचा की आवश्यकता होगी।

8.5.2कार्य निष्पादन

8.5.2.1 महात्मा गांधी नरेगा अंश के लिए ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेन्सी होगी। तथापि लाईन विभाग भी कार्यान्वयन एजेन्सी हो सकता है।

8.5.2.2 अभिसरण किए गए योजना के अंश के लिए लाईन विभाग कार्यान्वयन एजेन्सी होंगे। तथापि ग्राम पंचायत भी कार्यन्वयन एजेन्सी हो सकती है।

8.5.2.3 कार्यक्रम अधिकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से अनुरोध पर मस्टररोल जारी करेगा।

8.5.2.4 साप्ताहिक मस्टररोल और माप पुस्तिका प्रविष्टियाँ करना।

8.5.2.5 माप पुस्तिका में दर्ज निष्पादित कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान के आदेश (pay orders) जारी किये जायेगे।

8.5.2.6 मजदूरी का भुगतान सीधे मजदूर के खाते में किया जायेगा।

8.5.3 प्रबन्धन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग

8.5.3.1 महात्मा गांधी नरेगा सॉफ्ट में सभी विवरणों की एन्ट्री।

8.5.3.2 अभिसरण अनुसार प्रपत्र का विस्तार संयुक्त रूप से करना।

8.5.3.3 जिले में जिला कार्यक्रम समन्वयक और योजना के नोडल अधिकारी द्वारा त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठक।

8.5.3.4 विभिन्न स्तर पर निम्न निगरानी संरचना बनाई जावें:–

a) राज्य स्तर के तकनीकी संघ (SLTC)

b) जिला स्तर के तकनीकी संघ (DLTC)

c) ब्लॉक स्तर के तकनीकी संघ (BLTC)

d) ग्राम स्तरीय संसाधन समूह (VLRG)

8.5.3.5 इन निगरानी संरचनाओं में निम्न विशेषज्ञ सदस्य होंगेः–

a) विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ

b) तकनीकी शाखाओं के विशेषज्ञ

c) व्यक्तिगत विशेषज्ञ

8.5.3.6 महात्मा गांधी नरेगा की सभी प्रक्रियाओं जैसे सामाजिक अंकेक्षण, खाता रखरखाव, एम.आई.एस. रिपोर्टिंग जो महात्मा गांधी नरेगा के व्यय के लिए लागु हैं, का पालन किया जायेगा।

8.6 अभिसरण की कार्य योजना के लिए प्ररूपी अभ्यास

8.6.1 कार्य की कार्य योजना के लिए:—

क्र. सं.	लाईन विभाग	कार्य का प्रकार	गतिविधियाँ		भौतिक	वित्तीय	वित्त पोषण		
			मनरेगा द्वारा	लाईन विभाग द्वारा			मनरेगा द्वारा	लाईन विभाग द्वारा	लाभार्थी का अंशदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(i) सम्बन्धित राज्य में राज्य अभिसरण प्लान (एससीपी) जिलेवार तैयार किया जाना है।

(ii) लाईन विभाग जो महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कार्यों का अभिसरण कर रहे हैं, जिलेवार प्लान तैयार करेंगे, जिसमें योजना में उनके स्वयं के विभाग के योगदान को कुल प्रोजेक्ट राशि में दिखाया जायेगा।

(iii) यह जिला अभिसरण प्लान सम्बन्धित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित कराये जाने हैं।

8.6.2 प्रोजेक्ट की कार्य योजना के लिए:–

एक प्ररूपी अभ्यास जिसमें सभी कार्यों/गतिविधियों जो महात्मा गांधी नरेगा योजना और जलग्रहण विकास कार्यक्रम/अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों में क्षेत्र/कार्य के आकार, अनुमानित लागत एवं प्रस्तावित वर्ष को दर्शाते हुए अलग–अलग ली जावेंगी।

जलग्रहण क्षेत्र का नाम ...., जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल .... हैक्टेयर, गांव का नाम ...., ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत /जिला ....

क्र. सं.	कार्य/गतिविधि	क्षेत्र का प्रकार	क्षेत्र/कार्य की साईज	अनु. लागत (लाख रु)	कार्यक्रम जिसमें प्रस्तावित	प्रस्तावित वर्ष			
						प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
अ	**जलग्रहण प्रबन्धन**								
	(क) रिज क्षेत्र का उपचार : कैचमेन्ट क्षेत्र में सभी गतिविधियां मय वनस्पतिक आच्छादन जो उसके उपचार के लिए आवश्यक हैं जैसे वर्षा जल की मात्रा और वेग को कम करना, वनीय एवं सामान्य भूमि में वृक्षारोपण, चारागाह, स्टेगर्ड ट्रेचिंग, कन्टूर एवं ग्रेडेड बण्डिग, बैंच टरेसिंग आदि।	व्यक्गित जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			मनरेगा	हाँ			

	(ख) ड्रेनेज लाईन का उपचार : वनस्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचना के संयोजन से यथा :– 1) मिट्टी की आड 2) झाड़–झंखाड़ की आड 3) नाला डाट 4) लूज बोल्डर आड 5) झाबा संरचना 6) भमिगत बांध आदि	व्यक्तिगत जमीन / शामलात भूमि / वन भूमि			मनरेगा			हाँ	
	7) पक्का चैक डैम / ऐनीकट / ड्रॉप स्पिलवे / स्टॉप डैम / स्टॉप डैम कम काजवे 8) तटीय क्षेत्र में उपसतह जल संचयन संरचना	व्यक्तिगत जमीन / शामलात भूमि / वन भूमि			आईडब्ल्यूएमपी / आरकेवीवाई				
	(ग) जल संचयन संरचनाओं का विकास : जैसे कि	व्यक्तिगत जमीन / शामलात			मनरेगा		हाँ		

	1) फार्म पौण्ड 2) नाला बण्ड 3) परकोलेशन टैंक 4) भूजल रिचार्ज – कुएँ, बोरवेल एवं अन्य साधनों द्वारा।	भूमि/ वन भूमि							
	(घ) नर्सरी स्थापना : चारा, ईंधन, लकड़ी और बागवानी प्रजातियों के लिए।	व्यक्तिगत जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			मनरेगा	हाँ			
	(च) भूमि विकास : जैसे इन–सीटू मिट्टी और नमी संरक्षण और जल निकासी प्रबन्धन के उपायों सहितः 1) फिल्ड मेढ़ 2) वृक्षारोपण के साथ दृढ़ कन्टूर एवं श्रेणीबद्ध मेढ़ 3) पहाड़ी क्षेत्र में बैंच टरेसिंग	व्यक्गित जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			मनरेगा	हाँ			
	(छ) फसल प्रदर्शन :	व्यक्गित			आईडब्ल्यूएम		हाँ	हाँ	हाँ

	नई फसलों/किस्में, जल बचत तकनीकियां जैसे बूंद–बूंद सिंचाई या अभिनव प्रबन्धन के तरीको को लोकप्रिय करने के लिए	जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			पी/आरकेवी वाई				
	(ज) चारागाह विकास : रेशम कृषि, मधुमक्खी पालन, पिछवाड़ा मुर्गी पालन, छोटे जानवर अन्य पशुधन एवं लघु उद्योग	व्यक्गित जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			आईडब्ल्यूएम पी/आरकेवी वाई/ मनरेगा अन्तर्गत अवसंरचना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	(झ) पशु चिकित्सा सेवाएँ: पशुधन के लिए एवं पशुधन सुधार कार्यक्रम	व्यक्गित जमीन/ शामलात भूमि/ वन भूमि			आईडब्ल्यूएम पी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	(ट) मछली विकास: गांव के तालाब/टैंक/फार्म पौण्ड के अन्दर	व्यक्गित जमीन/ शामलात भूमि/ वन			मनरेगा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

		भूमि							
	(ठ)गैर परम्परागत ऊर्जा बचत उपकरणों संवर्धन एवं प्रचार : ऊर्जा संरक्षण उपाय, बायोफ्यूल प्लान्टेशन	व्यक्गित जमीन / शामलात भूमि / वन भूमि			आईडब्ल्यूएमपी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ब	**1) वृक्षारोपण :**								
	i. बाउण्ड्री प्लान्टेशन ii. एग्रो फोरेस्टरी	मनरेगा अनुसूची.1 के पैरा 5 अनुसार अनुमत व्यक्तिगत लाभार्थी भूमि / शामलात भूमि			आईडब्ल्यूएमपी / आरकेवीवाई		हाँ	हाँ	हाँ
	i. बाउण्ड्री प्लान्टेशन ii. एग्रो फोरेस्टरी	मनरेगा में अनुमत व्यक्तिगत लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्तिगत भूमि			आईडब्ल्यूएमपी / आरकेवीवाई		हाँ	हाँ	हाँ

	2) **उद्यानीकी(बागवानी) वृक्षारोपण :** i. ब्लॉक प्लान्टेशन ii. कृषि बागवानी वृक्षारोपण	मनरेगा अनुसूची– 1 के पैरा 5 अनुसार अनुमत व्यक्तिगत लाभार्थी भूमि/शामलात भूमि			मनरेगा		हाँ	हाँ	हाँ
	i. ब्लॉक प्लान्टेशन ii. सूखी बागवानी वृक्षारोपण	मनरेगा के तहत अनुमत व्यक्तिगत भूमि के अलावा अन्य भूमि/शामलात भूमि			आईडब्ल्यूएमपी/आरकेवीवाई		हाँ	हाँ	हाँ
स	**भूमि विकास**								
	1) नमक प्रभावित भूमि का उद्धार	मनरेगा अनुसूची.1 के पैरा 5 अनुसार अनुमत व्यक्तिगत			मनरेगा	हाँ	हाँ		

		लाभार्थी भूमि/शामलात भूमि							
	2) नमक प्रभावित भूमि का उद्धार	मनरेगा के तहत अनुमत व्यक्तिगत भूमि के अलावा अन्य भूमि			आईडब्ल्यूएमपी/आरकेवीवाई	हाँ	हाँ		

8.6.3 अभिसरण के लिए चैकलिस्टः—

क्र.सं.	गतिविधि	समय रेखा		स्थिति/प्रगति की टिप्पणी
		आरंभ तिथि	अंतिम तिथि	
	प्रबन्धन :			
1.	जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस की अध्यक्षता में डीआरजी की स्थापना			
2.	डीआरजी का अभिविन्यास			
3.	नरेगा व अन्य योजनाओं की मौजूदा डेटा बेस का एकत्रीकरण			
	योजना :			
	1) **संसाधन मानचित्रण**			
4.	ब्लॉक और ग्राम पंचायतवार मौजूदा परिसम्पत्तियों के मानचित्रण तैयार किया जाना			
5.	कार्यस्थल			
	ब्लॉक (संख्या और स्थान)			
i.	मूल्य संवर्धन के लिए परिसम्पत्तियों की संख्या/मात्रा			
ii.	सृजित की जाने वाली नई परिसम्पत्तियों की			

	संख्या/मात्रा			
iii.	अन्तर को भरने के लिए परिसम्पत्तियों की संख्या/मात्रा			
iv.	प्रत्येक गतिविधियों के तहत उत्पन्न होने वाले मानव दिवसों की संख्या			
v.	अनुमानित लागत			
	ग्राम पंचायत (संख्या और स्थान)			
1.	मूल्य संवर्धन के लिए परिसम्पत्तियों की संख्या/मात्रा			
2.	सृजित की जाने वाली नई परिसम्पत्तियों की संख्या/मात्रा			
3.	अन्तर को भरने के लिए परिसम्पत्तियों की संख्या/मात्रा			
4.	प्रत्येक गतिविधियों के तहत उत्पन्न होने वाले मानव दिवसों की संख्या			
5.	अनुमानित लागत			
6.	अभिसरण हेतु कार्यक्रमों का चिह्नीकरण			
7.	अभिसरण के लिए कार्यक्रम की गतिविधियों की पहचान			

8.	मनरेगा के तहत लिए जाने वाले घटक की पहचान			
9.	अन्य योजनाओं के तहत लिए जाने वाले घटक की पहचान			
10.	अभिसरण हेतु परियोजनाओं के लिए संसाधन मनरेगा से उपलब्ध कराये जायेंगे			
11.	अन्य योजनाओं से उपलब्ध संसाधन			
12.	तकनीकी रूप से सम्भव मापदण्डों का विकास मय अनुक्रमण, लागत, डिजाइन।			
	2) **आईईसी ट्रेनिंग :**			
13.	कार्यों के क्रियान्वयन करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण			
14.	डीआरजी, बीआरजी व वीआरजी द्वारा पंचायती राज पदाधिकारियों और ग्रामीणों सहित हितधारकों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण			
	3) **वीआरजी, बीआरजी व डीआरजी द्वारा सुगम सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया :**			
15.	ग्राम सभा का आयोजन, कार्यों का चिह्नीकरण एवं सिफारिश			
16.	ग्राम पंचायत द्वारा समेकित योजना			

17.	शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट मध्यवर्ती पंचायत/पं.स. को भिजवाया गया			
18.	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समेकित योजना तैयार कर मध्यवर्ती पंचायत/पंचायत समिति को प्रस्तुत करना			
19.	मध्यवर्ती पंचायत/ पंचायत समिति द्वारा अनुमोदन एवं जिला परिषद को प्रेषित करना			
20.	डीपीपी/एडब्ल्यूपी द्वारा अनुमोदन			
	कार्यान्वयन (विशिष्ट गतिविधियों के अनुसार)			
21.	अभिसरण के लिए नरेगा कार्य/श्रेणी के प्रकार			
22.	मनरेगा के तहत ली जाने वाली गतिविधियाँ			
23.	सृजित मानव दिवसों की संख्या			
24.	विभाग जिसके साथ अभिसरण किया जा रहा है द्वारा ली जाने वाली गतिविधियाँ।			
25.	सृजित मानव दिवसों की संख्या			
26.	परियोजना की कुल लागत			
27.	मनरेगा के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अनुमानित लागत			

	1) मजदूरी लागत			
	2) सामग्री लागत			
28.	योजना जिसके साथ अभिसरण किया जा रहा है के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अनुमानित लागत।			
	निगरानी :			
29.	मनरेगा क्रियान्वयन विभाग एवं मनरेगा के साथ अभिसरण करने वाले विभाग द्वारा संयुक्त निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किया जायेगा।			
30.	प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए विकसित संकेतक			
	नरेगा योजना के तहत शुरू किये गये कार्यों के लिए मानदण्ड			
31.	मजदूरी : सामग्री :			
32.	कोई ठेकेदार और मशीनरी नहीं			
33.	कम से कम 50 प्रतिशत नरेगा के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।			
34.	सहभागिता पूर्ण नियोजन प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।			

35.	नरेगा में कार्य करने के लिए केवल जॉबकार्डधारियों को ही नियोजित किया जायेगा।			
36.	कार्यस्थल पर मस्टररोलों का संधारण किया जायेगा एवं प्रति ग्रा.पं. में रखी जावेगी।			
37.	मस्टररोलों का इलेक्ट्रोनिकली संधारण दतमहंण्दपबण्पद को किया जायेगा।			
38.	ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।			
39.	मजदूरी का भुगतान बिना तामझाम के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के खातों में किया जायेगा।			

परिशिष्ट–"अ"

8.7 महात्मा गांधी नरेगा के तहत अन्य विभागीय योजनाओ के साथ अभिसरण किए गए कार्यों की सूची :–

क्र	अभिसरण अंतर्गत लिये गये कार्यों के नाम	संख्या	नरेगा अंश (लाख रू. में)	अन्य मद अंश (लाख रू. में)	योग (लाख रू. में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	रिमार्क (अभिसरण की गई योजनाओ के नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंगन बाडी भवन निर्माण कार्य	2049	8079.00	4211.98	12290.98	40	म.बा.वि./बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी.
2	आंगन बाडी भवन में अतिरिक्त कक्ष	86	13.26	70.92	84.18	2	म.बा.वि./बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी.
3	राजीव गांधी सेवा केंद निर्माण कार्य	2252	16989.42	5744.45	22733.87	642	बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी./मुमं ज.स.यो.
4	मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य	137	2302.97	4716.91	7019.88	0	पंचायत विभाग

5	नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य	472	3855.04	2936.00	6791.04	0	मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना
6	मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना मिट्टी कार्य (898.86 किमी लंबाई,)	358	6416.22	44547.51	50963.73	248	पंचायत एवं ग्रा.वि विभाग
7	गोदाम भवन	75	362.06	129.00	491.06	29	13वें वित्त आयोग / कृषि
8	धान संग्रहण हेतु चबूतरा	58	203.66	170.95	374.61	48	कृषि विभाग
9	वर्मी कम्पोस्ट	924	114.69	51.31	166.00	237	कृषि विभाग
10	नाडेप कम्पोस्ट	597	40.40	19.36	59.76	122	कृषि विभाग
11	मुर्गीपालन शेड	1597	697.28	14.90	712.18	424	आदिवासी विकास
12	पशु यूरिन टेंक व पक्का फर्श	1938	599.00	49.25	648.25	703	SGSY
13	बकरी पालन शेड	1356	471.42	2.43	473.85	538	उप संचालक पशु पालन
14	तट सुदृढीकरण	17	52.92	46.79	99.71	13	13वें वित्त आयोग / आई.

							डब्ल्यू.एम.पी.
15	तालाब गहरीकरण/उन्नयन	24	168.72	33.00	201.72	15	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
16	तालाब निर्माण कार्य	4	24.40	18.25	42.65	2	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
17	डबरी निर्माण कार्य	139	112.94	5.75	118.69	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
18	चेक डेम	266	580.27	649.69	1229.96	6	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
19	स्टाप डेम	7	86.16	59.96	146.12	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी./आई.ए.पी
20	वेस्टवेयर/स्लूसगेट निर्माण	13	137.99	16.26	154.25	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
21	सिंचाई नाली निर्माण	23	60.65	55.07	115.72	9	13वें वित्त आयोग
22	नहर एवं बाढ़ नियंत्रण संरचना उन्नयन	60	54.41	19.58	73.99	16	बी.आर.जी.एफ.
23	कुंआ निर्माण कार्य	92	62.81	91.79	154.60	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
24	गेबियन दीवाल निर्माण कार्य	34	7.35	4.04	11.39	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.

25	परकोलेशन टेंक निर्माण	50	122.04	12.70	134.74	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
26	बोल्डर चेक/गली प्लग निर्माण कार्य	79	23.23	21.42	44.65	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
27	भूमिगत डाईक	1	1.14	0.29	1.43	0	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
28	मिश्रित वृक्षारोपण	61	677.04	20.26	697.30	24	उद्यानिकी
29	फलदार वृक्षारोपण	174	623.15	725.72	1348.87	139	उद्यानिकी
30	बाड़ी विकास	437	183.19	152.99	336.18	167	कृषि विभाग
31	टसर (कोसापालन)	60	629.83	28.77	658.60	22	आई.ए.पी., रेशम, वन विभाग
32	मछली पालन तालाब	299	659.85	1.87	661.72	275	मत्स्य विभाग
33	मैदान समतलीकरण	2	11.54	3.17	14.71	2	मुख्यमंत्री जन सशक्तिकरण योजना
34	पुलिया निर्माण	110	134.00	318.44	452.44	63	मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना
35	डेयरी शेड़ निर्माण (भैंस पालन हेतु)	38	158.79	264.49	423.28	5	बी.आर.जी.एफ. ,आई.ए.पी.,

							आदिवासी विकास
36	आंतरिक मार्ग	23	380.69	271.97	652.66	7	जनपद पंचायत सशक्तिकरण
37	भूमि सुधार/मेढ़ बंदी	116	52.34	8.78	61.12	26	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
38	पचरी निर्माण/पिंचिग/रिटेनिंगवाल	13	27.85	31.76	59.61	1	आई.डब्ल्यू.एम.पी.
39	ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन (नाली निर्माण)	3	5.12	20.14	25.26	3	13वें वित्त आयोग
40	शाला शौचालय	1666	167.01	722.48	889.49	1328	RGSM
41	इंदिरा आवास शौचालय	4050	225.29	237.16	462.45	1297	NBA
42	आंगनबाडी भवन शौचालय	262	25.86	7.92	33.78	78	NBA
43	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (NBA)	87944	5257.95	3494.69	8752.64	46337	NBA
44	FRA लाभार्थियों के लिए कार्य	14045	4450.22	32.27	4482.49	24	कृषि/उद्यानिकी विभाग

45	अभिसरण से कराये गए अन्य कार्य	5857	3938.92	4235.61	8174.53	3097	
	महायोग	**127868**	**59248.09**	**74278.05**	**133526.14**	**55989**	

परिशिष्ट–''ब''

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का अन्य लाईन विभागों की योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स सम्बन्धी जारी संयुक्त दिशा–निर्देशों की वर्तमान स्थिति			
क्र. सं.	विभाग/गतिविधि का नाम	फाईल क्रमांक	दिनांक
1.			
2.			
3.			
4.			

परिशिष्ट–''स''

LIST OF CIRCULARS/ADVISORIES/GUIDELINES ISSUED FROM MORD AND RELEVANT TO MGNREGA WORKS AND CONVERGENCE

S.No.	Subject	Letter No.	Date of Issue
1.	Guidelines on expanding the scope of works under schedule Para 1(g) to include contruction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra (BNRGSK)	J-11013/2/2009-NREGA(Pt.)	30.12.2009
2.	Advisory on construction of inlet & outlet in Farm Pond/Talab	J-11017/40/2011-MGNREGA(UN)	23.11.2011
3.	Advisory on Tree Guards	J-11017/40/2011-MGNREGA(UN)	11.01.2012
4.	Repair & Renovation of water bodies	J-11016/48/2011-MGNREGA	17.04.2012
5.	Advisory on live fencing to protect crops from wildlife depredation	J-11017/40/2011-MGNREGA(UN)	05.07.2012

6.	Advisory on live fencing to protect crops from wildlife depredation	J-11017/40/2011-MGNREGA(UN)	14.08.2012
7.	"Muzaffarpur Model on roadside plantations under MGNREGS"	J-11017/40/2011-MGNREGA (UN)	10.09.2012
8.	Forest fire preventation works	J-11017/41/2012-MGNREGA (UN)	11.09.2012
9.	Guidelines on construction water courses	J-11017/41/2012-MGNREGA (UN)	18.09.2012
10.	Guidelines for field trials for production of building materials only for MGNREGA works	J-11017/26/2008-MGNREGA (UN)	13.01.2014
11.	Estimation of period required in completion of MGNREGA works	J-11017/40/2011-MGNREGA (UN)	28.02.2014
12.	"Action Plan for Roadside Tree Plantation" under MGNREGA	J-11017/17/2008-NREGA (UN) (Part II)	31.07.2014
13.	Outcome orientation in works under MGNREGA	J-11011/02/2010-MGNREGA (UN)	05.08.2014
14.	Special focus on recharging ground water including drinking	J-11017/40/2011-MGNREGA (UN)	07.08.2014

	water sources		
15.	Guidelines on "Watershed Management works taken independently under or in convergence with IWMP."	J-11017/17/2008-MGNREGA (UN)	11.08.2014
16.	Clarification regarding use machines in MGNREGS works	J-11011/09/2014-RE-I	25.08.2014
17.	Maintenance & Rehabilitation of canals/drains	J-12036/01/2013-MGNREGA (Pt. III) 29080	16.09.2014
18.	Clarification on "MGNREGA works directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees."	J-11017/41/2012-MGNREGA (UN) (Pt. II)	17.09.2014
19.	Construction of Individual House Hold Latrines (IHHLs) under MGNREGA	J-11017/41/2011-MGNREGA (UN) (Part)	25.11.2014
20.	Construction of Goat shelter under MGNREGA	J-11017/40/2011-MGNREGA (UN)	03.12.2014
21.	Advisory on "Plantation & Maintenance of trees producing	J-11017/17/2008-MGNREGA (UN) (Part-II)	29.12.2014

	oilseeds."		
22.	Action Plan for Swatch Bharat Mission under MGNREGA	J-11017/41/2011-MGNREGA (Part)	19.01.2015

GUIDELINES ISSUED FROM THE MINISTERY AND ARE RELEVANT TO CONVERGENCE:

S.No.	Subject	Letter No.	Date Of Issue
1.	Guidelines for providing inputs under the schemes of by ICAR and its field institutions like KVKs, etc.	J-11019/12/2008-NREGA (ICAR)	24.12.2008
2.	Guidelines for convergence between MGNREGS and the scheme of the Ministry of Environment & Forest.	J-11019/2/2008-NREGA	19.01.2009
3.	Guidelines for convergence of MGNREGS with the schemes of Ministry of Water Resources.	J-11019/22008-NREGA	18.02.2009
4.	Guidelines for Convergence NREGA with Programmes of MOA for Development of Agriculture and Allied sector.	J-11019/2/2008-NREGA	12.10.2009

5.	Construction of play fields under MGNREGS scheme	J-12055/1/2007-NREGA	11.02.2013
6.	Additional convergence guidelines MANRESA & Programme of Ministry of Agriculture.	J-13011/1/2009-MGNREGA	13.06.2013
7.	Guidelines for taking up Rubber Plantation through Convergence of MGNREGS & schemes of Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry.	J-11017/17/2013-MGNREGA (UN) (Part-III)	02.08.2013
8.	Guidelines on "Watershed Management works taken up independently under MGNREGA or in convergence with IWMP."	J-11017/17/2008-NREGA (UN)	11.08.2014
9.	"Guidelines for convergence MGNREGA with catalytic development programmes of Ministry of Textiles."	J-11017/17/2013-MGNREGA (UN) (Part-II)	08.10.2013
10.	"Convergence Guidelines for MGNREGS & PMGSY."	J-11060/1/2011-MGNREGA	07.11.2013

11.	Convergence guidelines MGNREGS & PMGSY	J-11060/1/2011-MGNREGA	07.11.2013
12.	Guidelines for construction of Houses (Sanctioned under IAY or such other State or Central Government scheme) under MGNREGA	J-11017/40/2011-MGNREGA (UN)	30.06.2014
13.	Guidelines on watershed management works taken up independently under MGNREGA or in convergence with IWMP	J-11017/17/2008-NREGA (UN)	11.08.2014
14.	Advisory on "Convergence of MGNREGS and Railways."	J-11017/42/2013-MGNREGA (UN)	21.09.2014
15.	Guidelines for taking up Coconut plantation through convergence of MGNREGS & Expansion of Area under coconut (AEP) scheme of Coconut Development Board, MOA.	J-11017/48/2014-MGNREGA (UN)	20.02.2015
16.	Guidelines for convergence MGNREGS with Green India Mission (GIM) of MoEF & CC.	9-5/2015/GIM/MGNREGS	03.03.2015

THANK YOU